

निर्वाचन का संचालन नियम 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्रारूप 21ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिये, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

50-रानीखेत की विधान सभा के लिये निर्वाचन


निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि-

श्री प्रमोद नैनवाल, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) के द्वारा खड़े किये गए।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन के स्थान भरने के लिये सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान:-अल्मोड़ा

तारीख-10 मार्च 2022


(जय किशन)

रिटर्निंग ऑफिसर,

50-रानीखेत विधान सभा

रिटर्निंग ऑफिसर

50-रानीखेत विधान सभा

Conduct of Elections Rules, 1961

(Statutory Rules And Order)

FORM 21C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the Legislative Assembly of **Uttarakhand** from **50-Ranikhet** Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

PRAMOD NAINWAL

137, village danpo, bhatraujkhan, distt almora [sponsored by **Bharatiya Janata Party**] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : *Almora*

Date : 10-03-2022

Ju
(Shri Jai Kishan)
Returning Officer
050-Ranikhet
Legislative Assembly Constituency

